12.03.2018 को सुबह 10.30 बजे होने वाले विज्ञापन अनुबंध के लिए नियम व शर्ते

1. राशि तिमाही आधार पर शुरूआत में ही दी जानी होगी।
2. बोलीकर्ता नीलामी में भाग लेने से पहले 1,00,000/– रूपये की अग्रिम राशि नकद/डीडी के रूप में जमा करेगा।
3. बोली का निर्णय मुख्य अधिशासी अधिकारी/छावनी परिषद के द्वारा लिया जाएगा।
4. उच्चतम बोलीकर्ता को छावनी परिषद, अम्बाला द्वारा उच्चतम बोली के स्वीकृति के बाद 07 दिनों के भीतर अनुबंघ को पूरा करने की आवश्यकता होगी।
5. अनुबंघ की अवधि पूरी होने के बाद 1,00,000/– रूपये की सुरक्षा राशि बिना किसी ब्याज के वापिस कर दी जाएगी तथा अनुबंघ की अवधि के दौरान यदि छावनी परिषद का कुछ नुकसान या क्षति होती है, तो छावनी परिषद को उसे सुरक्षा राशि में से काटने का अधिकार होगा।
6. उच्चतम बोलीकर्ता को 03 माह का लाइसेंस शुल्क निश्चित रूप से शुरूआत में ही जमा करना होगा।
7. उच्चतम बोलीकर्ता किसी भी समय यदि छावनी क्षेत्र में अनुमोदित साइटों से अधिक का उपयोग करता पाया जाता है, तो छावनी परिषद कर्मचारियों द्वारा बिना नोटिस दिए होर्डिंग को हटा दिया जाएगा तथा तदनुसार क्षति शुल्क/जुर्माना लगाया जाएगा।
8. लाइसेंसघारी 03 माह का लाइसेंस शुल्क शुरूआत में ही छावनी निधि खाते में जमा करने हेतु जिम्मेदार होगा। यदि वह ऐसा नही करता है तो लाइसेंस शुल्क रद्द कर दिया जाएगा।
9. होर्डिंग लगाते समय जनता या यातायात को कोई असुविधा नही होगी तथा होर्डिंग के कारण यदि कोई नुकसान या क्षति होती है, तो ठेकेदार व्यक्तिगत रूप से इसका जिम्मेदार होगा तथा छावनी परिषद किसी भी नुकसान या क्षति के लिए किसी के प्रति जिम्मेदार नही होगा।
10. उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई अग्रिम राशि बोली समाप्त होने पर जब्त की ली जाएगी यदि वह छावनी द्वारा बोली की स्वीकृति की सूचना तिथि से 07 दिनों के भीतर निर्धारित समय पर आवश्यक अनुबंध पूरा नही करता है।
11. ठेकेदार को मुख्य अधिशासी अधिकारी द्वारा होर्डिंग के आकार को अनुमोदित करवाना होगा तथा यदि आकार अनुमोदित नही किया जाता तथा साइट पर फिक्स या लगा दिया जाता है, तो छावनी परिषद के अधिकारी उसे बिना कोई नोटिस दिए हटाने हेतु अधिकृत होगें।
12. होर्डिंग लोहे के एंगल पर लगाना होगा तथा मुख्य अधिशासी अधिकारी छावनी परिषद, अम्बाला द्वारा अनुमोदित विशिष्ट स्थान पर फिक्स होगी। ठेकेदार को मुख्य अधिशासी अधिकारी के आदेशानुसार विज्ञापन बोर्ड तथा ग्रिल्स या उसकी सपोर्टिंग को विधिवत पेंट तथा अच्छी स्थिति में रखना होगा।
13. यदि किसी भी समय छावनी परिषद द्वारा साइट की आवश्यकता हुई तो ठेकेदार आवश्यक साइट पर से होर्डिंग हटा देगा तथा ठेकेदार को किसी भी प्रकार का मुआवजा नही दिया जाएगा।
14. होर्डिंग के 'विस मेजर' दुर्घटना आदि के कारण क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में छावनी परिषद ठेकेदार के प्रति क्षति/नुकसान का जिम्मेदार नही होगा।
15. ठेकेदार इस विषय में विभिन्न न्यायालयों द्वारा जारी सभी आवश्यक दिशा–निर्देशों का पालन करेगा।
16. बोर्ड एक माह का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त कर सकता है। लाइसेंसधारी इसके लिए बाध्य होगा।
17. सीईओ/या उसका प्रतिनिधि बिना कोई कारण दिए किसी भी बोली को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है।
18. सीईओ/या उसका प्रतिनिधि न्यूनतम होने की स्थिति में बोली को रद्द कर सकता है तथा बोर्ड को पुन नीलामी के लिए कह सकता है।